

हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश वन विभाग

हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना
विश्व बैंक सहायता

सामाजिक आकलन एवं प्रबंधन फ्रेमवर्क

कार्यकारी सारांश
ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट

जून 2018

Submitted By
Samaj Vikas Development Support Organisation
with
Center for Excellence in Management and Technology Pvt. Ltd.

1 सामाजिक विश्लेषण (Social Assessment)

हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना - (Himachal Pradesh Forestry for Prosperity)

वन के उत्पाद इको-सिस्टम सेवाओं (eco-system services) का एक स्रोत हैं। अतः इन्से प्राप्त होने वाले बहु लाभों को ध्यान में रखते हुए इनके प्रबंधन की आवश्यकता है, जिससे न केवल लकड़ी (टिम्बर) व अन्य वन उत्पादों से स्टैकहोल्डर को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा “हिमाचल प्रदेश वन से समृद्धि परियोजना” विकसित की गई है जिसका क्रियान्वयन “हिमाचल प्रदेश वन विभाग” द्वारा किया जाएगा।

इस परियोजना के उद्देश्य हैं हिमाचल प्रदेश में चयनित स्थलों पर वनों और चरागाहों के शासन, प्रबंधन और सामुदायिक उपयोग में सुधार करना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित रणनीति को अपनाया जाएगा राज्य की संस्थागत क्षमता को मजबूत करके, कोर वानिकी संचालन की दक्षता में सुधार, सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन के अवसर पैदा करना और प्रभावी वन प्रशासन के लिए चुनिंदा एनटीएफपी की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के लिए यह पंचवर्षीय परियोजना राज्य के अंतर्गत आने वाले सतलुज नदी के आवाह क्षेत्र के 7 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी।

परियोजना विवरण (Project Description)

वन सेवा प्रावधान कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाकर, वनों से संबंधित गतिविधियों में समुदायों और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं को मजबूत कर परियोजना न केवल राज्य के आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान देगी, बल्कि व्यापक लाभों के लिए आधार भी रखेगी। वनीकरण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार, उदाहरण के लिए, क्षतिपूर्क वानिकीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) फंड के तहत किए गए वनीकरण के लिए राज्य को केंद्र सरकार द्वारा आवंटन की प्रभावशीलता में सुधार होगा। यह देखते हुए कि, 14 वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों के आवंटन का 7.5 प्रतिशत राज्य की जंगल की गुणवत्ता पर आधारित है। हिमाचल की वन गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करके, परियोजना, राज्य को वित्तीय आवंटन बढ़ाने में मदद करेगी और इस प्रकार विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र राज्य बजट में भी सुधार होगा। बेहतर वन गुणवत्ता से कार्बन पृथक्करण में वृद्धि होगी, जिससे हिमाचल प्रदेश अपने राज्य जलवायु नीति लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बन सकेगा, और भारत के एनडीसी लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देगा।

परियोजना घटक

ए) घटक 1. हिमाचल प्रदेश वन विभाग (एचपीएफडी) द्वारा वन क्षेत्र के उत्पाद और सेवा के प्रावधान में सुधार

उप-घटक 1 ए: हिमाचल प्रदेश वन विभाग (एचपीएफडी) का संस्थागत सशक्तिकरण और विकास,

उप-घटक 1 बी: बीज और नर्सरी विकास, रोपण व रखरखाव में निवेश,

उप-घटक 1 सी: व्यापक जलग्रहण क्षेत्र उपचार (सीसीएटी) योजना की प्रभावशीलता में सुधार

बी) घटक 2. बेहतर और अधिक टिकाऊ, समुदाय और निजी क्षेत्र के वन और चरागाह के उपयोग की सुविधा

उप-घटक 2 ए: एनटीएफपी के टिकाऊ व्यापार के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना)

सी) घटक 3. संस्थागत समन्वय और परियोजना प्रबंधन

उप-घटक 3.1 परियोजना प्रबंधन

उप-घटक 3.2 संस्थागत समन्वय

सामाजिक आकलन (Social Assessment)

परियोजना के डिजाइन और क्रियान्वयन में मौजूदा और संभावित सामाजिक जोखिमों और मुद्दों को समक्षने हेतु एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। विस्तृत साहित्य समीक्षा, और प्राथमिक सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा संग्रहित जनकारी के आधार पर व राज्य की आर्थिक व सामाजिक मानकों के संदर्भ में प्रगति व परियोजना के सामाजिक पहलुओं से संबंधित नीति व कानूनी पहलु का विश्लेषण किया गया, इन सामाजिक मुद्दों और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं व राज्य के सिस्टम और कार्य विधि का, इन संभावित जोखिमों और प्रभावों को संबोधित या कम करने या निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाओं की सक्षमता का भी आकलन किया गया। इस आकलन का उपयोग सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (एसएमएफ) और जनजातीय विकास योजना (टीडीपी) को विकसित करने व प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने और परियोजना के दौरान उभरने वाले सामाजिक लाभों को बढ़ाने के लिए किया गया है। सामाजिक मूल्यांकन और प्रबंधन फ्रेमवर्क इकिवटी, सामाजिक और लिंग समावेशन, भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, मुशासन और उचित भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया है। हालांकि प्राथमिक आकलन में निजी भूमि के अधिग्रहण की संभावना नहीं नज़र आती है क्योंकि परियोजना कि सभी गतिविधियाँ वन भूमि अथवा सरकारी भूमि पर क्रियान्वित किए जाने का प्लान है तदपि पुनर्वास नीति फ्रेमवर्क, भविष्य में निजी भूमि के अधिग्रहण की संभावना को ध्यान में रख, बनाई गई है।

राज्य की प्रोफाइल (Profile of State)

हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग किमी है और हिमालय के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11 प्रतिशत का गठन करता है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है और 66 प्रतिशत से अधिक वन के रूप में चिह्नित है - लगभग 15 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र (पीए) नेटवर्क के भीतर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 68,64,602 (34,81,873 पुरुष और 33,82,729 महिलाएं) है, व जनसंख्या घनत्व 123 है। यह भारत की कुल आवादी का केवल 0.57 प्रतिशत है, जो 12.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर रहा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17,29,252 (24.7%) है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3,92,126 (4) है। प्रति महिला कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.8 है, जो भारत में सबसे कम है। राष्ट्रीय अनुपात 933 के मुकाबले राज्य का सेक्स अनुपात 972 है। राज्य की साक्षरता दर 83.78% (पुरुष 90.83% और महिला 76.6%) है। हिमाचल ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल साक्षरता स्तर 83% है, केरल (91%), मिजोरम (89%) और लक्षद्वीप (87%) - तीन शीर्ष रैंकिंग राज्यों के बाद साक्षरता स्तर में राज्य चौथे स्थान पर हैं। लगभग 90% आवादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व पिछले 40 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। जनगणना 2011 के अनुसार, दर्ज जनसंख्या घनत्व 123 वर्ग प्रति वर्ग किमी था, जो वर्ष 1971 में 62 के दर्ज की गई थी।

राज्य में कुल 6.9 मिलियन लोगों में से लगभग 52% कुछ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं जिस में 58% मुख्य कार्यकर्ता हैं। महिला आवादी का कुल 18% व पुरुष आवादी के 41% मुख्य कार्यकर्ता हैं। कुल श्रमिकों में से 71% पुरुष जनसंख्या व महिलाओं में कार्य बल का केवल 41% ही मुख्य कार्यकर्ता है यह महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं की कमी का संकेतक है। राज्य की कुल कार्यबल का 42% मार्जिनल श्रमिकों की श्रेणी में आता है। पुरुष आवादी का 17% और 26% महिला आवादी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है।

कृषि राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। मुख्य श्रमिकों में से लगभग 69 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि छोटे होल्डिंग, कम उत्पादकता सिंचाई सुविधाओं के अभाव व कृषि उत्पादों के विक्री तंत्र के अभाव, के प्रतिकूल प्रभावों से घिरा हुआ है। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का केवल 75 प्रतिशत खेती के लिए उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश लोग कृषि, पशुधन, ट्रॉसहयूमैन्ट्स (चरवाहे, गडरिये), वागवानी, और वानिकी पर अपनी आजीविका पर निर्भर करते हैं। 55.67 लाख हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में परिचालन होल्डिंग का क्षेत्र 9.55 लाख हेक्टेयर है और इसका संचालन 9.61 लाख किसानों द्वारा किया जाता है। औसत होल्डिंग लगभग 1.00 हेक्टेयर है।

राज्य में 28,208 किमी (17,528 मील) का सड़क नेटवर्क है, जिसमें आठ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) शामिल हैं जो 1,234 किमी (767 मील) और 19 राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,625 किमी (1,010 मील) है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन का मुख्य साधन

सड़क परिवहन है। यात्री परिवहन का प्रबंधन सरकारी स्वामित्व वाले हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2016 तक इस निगम में 2,735 बसें, 19 ट्रक और 73 अन्य वाहन थे।

ग्रामीण समुदायों के मेले और त्योहार - कुल्लू घाटी, पड़ोसी राज्यों से और हिमाचल प्रदेश के भीतर से तीर्थयात्री व यात्री बड़ी संख्या में अभिसरण करते हैं। धर्मशाला शहर हाल ही में एक पवित्र स्थल के रूप में उभरा है, खासकर तिब्बती बौद्धों के लिए; यह धर्मशाला में था कि चीन के ल्हासा के कब्जे के चलते 195 में तिब्बत से भागने के बाद दलाई लामा बस गए थे। अनेक त्योहारों और पवित्र स्थलों के अलावा, शिमला पहाड़ियों, कुल्लू घाटी (मनाली शहर समेत), और डलहौसी लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए विशेष रूप से आउटडोर मनोरंजन के लिए हैं। दरअसल, स्कीइंग, गोल्फिंग, मछली पकड़ना, ट्रेकिंग और पर्वतारोहण उन गतिविधियों में से हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश आदर्श रूप से उपयुक्त है।

इस राज्य के माध्यम से बहने वाली नदियों में व्यास कुल्लू, मंडी और कंगड़ा जिलों में, किन्नौर, शिमला और विलासपुर जिलों में सतलुज, यमुना की सहायक नदियां शिमला और सिरमौर जिलों में, चिनाव (चंदर भागा) लाहौल-स्पीति और चंबा जिले में और रवि चंबा जिले के मध्य से बहती है। राज्य के भूमि उपयोग और भूमि कवर वितरण से संकेत मिलता है कि भूमि क्षेत्र का 24% वन, 33% भूमि घास और झाड़ियाँ है जो चरागाह के रूप में कार्य करता है। कृषि भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13% है। भूमि का 17% बंजर भूमि है। आंतरिक हिमालय के हिस्से का लगभग 80 प्रतिशत भाग में चरागाह हैं, खेती और वन्य इलाकों में केवल 10 प्रतिशत भूमि आती है, जहाँ मुख्य रूप से ट्रांसह्यूमैन्ट्स व जनजातिय समुदायों में रहने वाले लोग बसते हैं, जो अपने जानवरों को चराने के लिए इन अल्पाइन चरागाहों का उपयोग करते हैं।

राज्य के जंगलों को चैंपियन और सेठ द्वारा निर्धारित पारिस्थितिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और इसे व्यापक रूप से शंकुधारी वनों और व्यापक रूप से चौड़ी पत्ती वाले वन में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न प्रजातियों का वितरण काफी नियमित उपशीर्षक स्तरीकरण का पालन करता है। वनस्पतियां ऊंचाई के अनुसार परिवर्तित होती हैं - ऊपरी ऊंचाई पर अल्पाइन चरागाह व कम ऊंचाई पर शुष्क स्क्रब वन पाए जाते हैं। इन दो चरम सीमाओं के बीच, मिश्रित पर्णपाती जंगलों जिनमें बांस, चिल, ओक, देवदार, कैल, फ़िर और स्पूस आदि विशिष्ट वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। फ्लोरा की समृद्धि और विविधता इस तथ्य से नापी जा सकती है कि देश में पाए गए कुल 45,000 प्रजातियों में से 3,295 प्रजातियां (7.32%) राज्य में दर्ज की गई हैं। राज्य में अधिकांश वनों के निकट रहने वाले ग्रामीण लोग वन उत्पादों और सेवाओं का प्रचुर मात्रा में उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, और लोग वन उत्पादों पर पूरी तरह से निर्भर हैं।

हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहा है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और वारिश के साथ ही वर्षावारी अनियमित हो रही है, इससे वन, कृषि, वागवानी और आजीविका प्रभावित होती है। राज्य में मानसून बढ़ रहा है लेकिन कुल वर्षा में गिरावट आई है। ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेतक हैं। तापमान में वृद्धि के कारण, स्पीति घाटी में, 2001 और 2007 के बीच ग्लेशियर में गिरावट 10-12 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अक्टूबर से जून के बीच वर्षा कवर में रहने वाला छह नदियों के बेसिन का क्षेत्रफल भी बदल गया है। 2015-16 की तुलना में वर्षा कवर में गिरावट 2010- 2014 की अवधि के लिए 5-37% के बीच है। जलवायु परिवर्तन ने गुणवत्ता के प्रभाव से सेव की फसल की पैदावार व गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है जिस वजह से लोगों की वल्लरविलिटी/ भेद्यता में वृद्धि हुई है नतीजतन, किसान अन्य वागवानी फसलों जैसे अनार और यहां तक कि सब्जियां जैसे गोभी सेव वागानों में लगाने लगे हैं। जंगल पर जलवायु परिवर्तन के तत्काल प्रतिक्रियाएं वृक्ष लाइनों के स्थानांतरण और पाइन प्रजातियों के ऊंचाइयों पर पहुंचने के रूप में दिखाई दे रही हैं। एक बड़े पैमाने पर वन्य जैवों के स्थानांतरण और इसके जंगलों की जैव विविधता पर गहरे प्रभाव की संभावना है। यह वन निर्भर समुदायों की भेद्यता (वल्लरविलिटी) के भी बढ़ाने की संभावना है जिसके लिए वन उन्हें सक्षम बनाता है व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन में मदद करता है।

हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबंधन (जेएफएम) का लगभग दो दशकों का अनुभव है। राज्य सरकार ने 1993 में ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीसी) के संविधान के लिए पहली जेएफएम अधिसूचना जारी की। 2001 में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत ग्राम वन विकास समितियों (वीएफडीएस) के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश भागीदारी वन प्रबंधन नियम जारी किए गए थे। इसके बाद - 2002-03 के उपरांत - एनएपी के समर्थन से वन विभाग स्तर पर जेएफएमसी का गठन और एफडीए में जेएफएमसी का गठन किया गया। एनएपी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जेएफएमसी एचपीएफडी के साथ

पंजीकृत हैं, जबकि एफडीए सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं। एसएफडीए 2010 में केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार गठित किया गया था।

कानूनी और नीति फ्रेमवर्क (Legal and Policy Framework)

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और नीति प्रावधानों में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act 1927), हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1968 (The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968), हिमाचल प्रदेश लोक परिसर और भूमि (उत्खनन और किराया रिकवरी) अधिनियम, 1971 (Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971), वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) और संशोधन 2002 (amendment 2002), भूमि सुधार कानून - एचपी गांव आम भूमि निहित और उपयोग अधिनियम, 1974 (HP Village Common Land Vesting and Utilization Act, 1974), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980), पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act 1996), जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002), अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) आदि में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार का उल्लेख है। हालांकि इनमें से कुछ कानूनी प्रावधान वनों की रक्षा करते हैं शोषण और सख्त संरक्षण की वकालत करते हैं, ऐसे अन्य उपकरण हैं जो वन संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों को पहचानते हुए वन संरक्षण और विकास में वन संसाधनों के न्यायिक उपयोग और वन विभाग के साथ समुदायों के बीच संतुलन का प्रयास करते हैं।

विश्व बैंक परिचालन नीतियां जनजातिय वर्ग ओपी / वीपी 4.10 (Operational Policies Indigenous Peoples OP/BP 4.10) और पुनर्वास ओपी / वीपी 4.12 (Involuntary Resettlement OP/BP 4.12) इस परियोजना पर लागू होती है।

प्रभाव आकलन - सर्वेक्षण और परामर्श (Impact Assessment – Surveys and Consultations)

इस मूल्यांकन में 11 गांवों के कुल 504 परिवारों (एचएच) का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से करीब 55% एचएच सामान्य श्रेणी के लोगों के, एससी से 17% और एसटी श्रेणी से 28% और 13% महिला प्रमुख परिवार थे। अध्ययन नमूने के लिए एचएच का औसत परिवार का आकार 4 था और जनगणना में औसत एचएच आकार के साथ तुलनीय है। कुल 2185 परिवार के सदस्यों में से 52% सामान्य श्रेणी से संबंधित थे जबकि 20% सदस्य एससी श्रेणी से थे और 28% एसटी श्रेणी से संबंधित थे। एससी और एसटी एचएच मुख्य रूप से किन्नौर जिले में पाए गए। कुल 504 एचएच सर्वेक्षण में से 25% वीपीएल श्रेणी से संबंधित थे। वीपीएल श्रेणी एचएच की पहचान गांव सूची और एचएच की राशन कार्ड प्रति के आधार पर की गई थी। सर्वेक्षण समूह के साक्षरता स्तर से संकेत मिलता है कि पुरुष आवादी (83%) की औसत साक्षरता, महिला साक्षरता स्तर (75%) से अधिक है। हालांकि नमूना परिवारों की 79% आवादी साक्षर है, केवल 9% लोगों ने स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की है। अध्ययन नमूने के बीच कुल कार्यकर्ता आवादी 54% पुरुषों और 33% महिलाओं के साथ कुल 54% कर्मचारियों की संख्या है। शेष 46% आवादी या तो वृद्ध / सेवानिवृत्त है या अभी भी अध्ययन से गुजर रही है या "गैर-स्कूल जाने वाले आयु वर्ग" से संबंधित है।

अधिकांश ग्रामीण, सीमांत किसान थे, जिनकी भूमि स्वामित्व 2-5 विघा (1 विघा = 809 मीटर²) लगभग 0.3-0.4 हेक्टेयर थी जिस पर गेहूं, मक्का, जौ जैसी फसलों की कृषि की जाती है। औसत घरेलू भूमि स्वामित्व 0.5 हेक्टेयर (6.2 विघा) पाया गया। गेहूं, मक्का, मटर, आलू, चावल, जौ, दालें और सेव अध्ययन गांवों में उगाई जाने वाली प्रमुख नकद फसलें हैं। वागवानी फसलों को घर के भीतर खपत के लिए उगाया जाता है। कुल घरों में से 36% में कोई पशुधन नहीं था। शेष घरों में से 64% प्रति परिवार औसतन 2 जानवर पशुधन के रूप में पाले जाते हैं। औसतन प्रत्येक एचएच औसतन 5 भेड़ें और इसी तरह लगभग 4 वकरियों का पालन करता है और प्रत्येक 2 परिवारों में औसतन 3 गायों और 1 भैंस होते हैं। कुल सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से 79% के घर में टेलीविजन था। सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए कुल परिवारों में से 30% में लकड़ी, मिट्टी या पत्थरों से

वने कच्चे घरों में, 21% घरों में आरसीसी / टोस दीवारें थीं और टिन, एक्स्टोस, लकड़ी या टाइल व चादर की छत थीं, आरसीसी संरचनाएं (पक्का) घर 49% परिवारों का था। 96% परिवारों के अपने घर थे। सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से केवल 4% ने पुष्टि की कि वे किराए पर आवास में रहते हैं।

मूल्यांकन अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए 60% परिवारों ने कहा कि उन्होंने अपने पशुओं के लिए चारे के संग्रह के लिए वनों का दौरा किया। छारए के लिए वन में जाने के स्थान पर बाजार से चारा खरीदना सर्वेक्षण के 54% उत्तरदाताओं ने पसंद किया था। सर्वेक्षित परिवारों में से केवल 4% ने कहा कि वे चारा के लिए चरागाहों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। 25% परिवार अपनी जमीन पर खेती, फसल और फसल अवशेष का उपयोग चारे के रूप में करते हैं। जन समुदायों ने परामर्श के दौरान बताया कि वनों की गुणवत्ता में गिरावट व बाहरी आक्रामक प्रजातियों की वजह से वन और चारागाह (घसनी) से चारा लाने में परेशानी होती है। सर्वेक्षित परिवारों में से 79% ने कहा कि उन्हें अब लकड़ी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके घरों का निर्माण हो चुका है और जब भी उन्हें निर्माण उद्देश्य के लिए कोई आवश्यकता होगी तो वे इसे टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (टीडीएस या टीडी, लोकप्रिय रूप से जाना जाता है) के माध्यम से प्राप्त करना पसंद करेंगे। केवल 2% परिवारों ने टीडीएस के माध्यम से अपने घरों के निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त करने की पुष्टि की है।

एनटीएफपी संग्रह को किसी भी गांव में उत्तरदाताओं द्वारा, इस आशंका के तहत पुष्टि नहीं की गई थी कि एनटीएफपी को जंगल से इकट्ठा करने के लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि गांव में ऐसे लोग हैं जो वन से एनटीएफपी के संग्रह के लिए जंगल में जाते हैं। आम तौर पर एकत्रित एनटीएफपी दादू (जंगली अनार) और चिलगोजा के साथ नाग छत्री, गुच्ची (जंगली मशरूम), बार, काकरी, बहेरा, आमला, मस्तक इत्यादि थे। केवल 4 उत्तरदाताओं ने खुले तौर पर कहा कि वे जंगल में कटार सिंग और नाग छत्री (restricted species) एकत्र करने जाते हैं। हालांकि, लगभग सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि औषधीय पौधों, गुच्ची, दादू, अच्छी गुणवत्ता वाले अखरोट आदि का वन में रोपण समुदाय के लिए फायदेमंद होगा।

मानसून के मौसम के बाद नियमित आधार पर वन विभाग द्वारा वागानों में वृक्षारोपण किया जाता है। अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए कुल 504 परिवारों में से केवल 12% उत्तरदाताओं ने हाल ही में किए गए वृक्षारोपण गतिविधियों से अवगत थे, 88% परिवारों ने बताया कि उन्हें वृक्षारोपण गतिविधियों या वनों में लगाई गई प्रजातियों पर कोई जानकारी नहीं थी। केवल 5% परिवारों ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यों में भाग लिया था, जिसमें वे रोपण के लिए खुदाई करने, नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौधे लाने, पौधों को पानी देना या अन्य विविध कार्यों के लिए दैनिक मजदूरों के रूप में लगे थे। वृक्षारोपण गतिविधियों में भाग लेने वाले ग्रामीणों को सरकारी मानदंडों के तहत निर्धारित 210 से 220 रुपये की दैनिक मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है। वन्य आग की घटनाओं के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित करने और वन विभाग के साथ मिलकर आग बुझाने में सक्रिय भूमिका निभाई। 90% उत्तरदाताओं ने पुष्टि की कि वे या उनके घर के एक सदस्य ने सक्रिय रूप से आग बुझाने में भाग लिया है। एचपीएफडी फायर फ्री गांवों को प्रोत्साहित कर रहा है और 5000/- रुपये का फायर फ्री गांवों के लिए प्रोत्साहन दे रहा है।

रोजगार और आय के अवसरों की कमी लगभग सभी गांवों में उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक थी। लगभग सभी गांवों में समुदाय के सदस्यों ने कहा कि रोजगार के अवसर उनके गांव में दुर्लभ हैं। 16% उत्तरदाताओं ने कहा कि रोजगार के अवसर मौसमी हैं जबकि 68% उत्तरदाताओं ने इस क्षेत्र में किसी मौजूदा रोजगार के अवसरों से इंकार कर दिया है। लगभग सभी गांवों में समुदाय के सदस्य मनरेगा के तहत उपलब्ध नौकरियों पर निर्भर थे। 30% परिवार के पुरुष सदस्य अक्सर अन्य शहरों में प्रवास करते हैं, जिनमें से लगभग 19% परिवार के अनुसार पुरुष सदस्यों का प्रवास अक्सर दीर्घकालिक होता है।

मूल्यांकन सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने हाल ही में वन संसाधनों के मुद्दों पर समुदाय के किसी भी सदस्य या अन्य समुदायों के किसी अन्य सदस्य के साथ संघर्ष नहीं होने की पुष्टि की। जब व्यक्तिगत साक्षात्कारों में और एफजीडी के दौरान ट्रांसहुमेंट जिनके पास वन अधिकार हैं, के साथ उनकी वातचीत व मेलजोल के बारे में पूछा गया, उत्तरदाताओं ने कहा कि ट्रांसहुमेंट को जंगल में रहने की अनुमति है और वे आमतौर पर जंगल की उच्च पहुंच पर शिविर करते हैं और उनके पास चरागाह के अधिकार हैं वे आम तौर पर गांव या निजी क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इस मुद्दे को चर्चा

के माध्यम से सुलझाया जाता है और गांव के पंचायत सदस्यों को शामिल किया जाता है और ट्रांसडुमेंट समुदाय के साथ सीधी चर्चा होती है।

सर्वेक्षण के उत्तरदाता राज्य की औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र से अनजान थे, हालांकि, किसी विशेष विभाग से संबंधित किसी भी शिकायत या मुद्दों के मामले में ग्रामीण अक्सर पीआरआई सदस्य से संपर्क करते हैं या संबंधित विभाग के अधिकारियों से सीधे शिकायत का पंजीकरण करते हैं और यदि उनकी शिकायत को संबोधित नहीं किया जाए तो बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं थे कि अपनी शिकायत उच्च स्तर के अधिकार तक कहां और कैसे बढ़ाया जाए।

ग्रामीणों की वन विभाग से उम्मीदें इस प्रकार हैं - फलदार पौधों को वृक्षारोपण, जंगली जानवरों से बचाने के लिए गांव के चारों ओर बाड़ लगाना, जंगल के पथ का निर्माण, जंगल में वृक्षारोपण और स्थानीय समुदाय के सदस्यों को रोजगार सुनिश्चित करना चेक बांध / सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, ढलान स्थिरीकरण कार्य का कियानव्यन, ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान / प्रशिक्षण आयोजित करना, बागानों और नर्सरी परिचालन में भागीदारी, अग्नि चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली में भागीदारी, भूस्खलन के खिलाफ सुरक्षा इत्यादि हैं।

वनो पर स्थानीय निवासी आबादी की आर्थिक निर्भरता का आकलन करने और वन विभाग और परियोजना से उनकी अपेक्षाओं को आत्मसात करने के लिए प्रत्येक गांव में एफजीडी आयोजित की गई। परामर्श के निष्कर्ष - कृषि उत्पाद के अतिरिक्त उत्पादन की विक्री, वन प्रबंधन में भागीदारी, एनटीएफपी संग्रह, एनटीएफपी और कृषि उत्पाद की संग्रहण सुविधाएं, टी डी, वन अग्नि, पर्यावरण पर्यटन, संघर्ष समाधान और शिकायत निवारण इत्यादि से संबंधित हैं।

जातिगत भूमिकाएँ (Gender Roles)

महिलाएं कृषि विकास और मुख्य फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी और पोस्ट फसल परिचालन आदि सहित संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, महिलाओं को गंभीर प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है।

संस्थागत आकलन (Institutional Assessment)

1998 में एचपीएफडी द्वारा शुरू की गई भागीदारी / संयुक्त वन प्रबंधन के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं और राज्यव्यापी कार्य क्रमों ने वनों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव में समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इन संस्थानों में से, वीएफडीएस सोसाइटी, पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं; जबकि वीएफडीसी, वीडीसी और वीईडीसी जिला वन अधिकारी द्वारा पंजीकृत हैं। आईडब्ल्यूडीपी को छोड़कर, जहां वीडीसी के लिए वाटरशेड एक इकाई थी, वीडीसी के लिए एक ग्राम पंचायत आम तौर पर इकाई होती है। वीएफडीसी, वीएफडीएस, वीईडीसी और वीडीसी सभी में एक सामान्य सदस्यता और एक कार्यकारी होता है। हिमाचल सरकार राज्यव्यापी प्राथमिकताओं और भारत सरकार के राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप वन क्षेत्र के लिए नीति और रणनीतिक दिशा निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान 'विजन 2020', एचपी वन विभाग के 'विजन' को शामिल करते हुए समग्र राष्ट्रीय 'विजन' में योगदान देगा।

वन विभाग ने पारंपरिक रूप से वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक पुलिस की भूमिका निभाई है और पिछले 2-3 दशकों में राष्ट्रीय / राज्य वन नीतियों में बदलाव के साथ अब समुदायों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। जबकि ईंधन की लकड़ी, चारा, एनटीएफपी और घरों के निर्माण के लिए लकड़ी के उपयोग जैसे कुछ अधिकार हमेशा वनों के पास स्थित समुदायों की पहचान करते थे, उन्हें उम्मीद थी कि वे जंगल की आग के नियंत्रण जैसे अत्यावश्यकताओं में विभाग की मदद में समुदाय के लोग करेंगे। महिला वन गार्ड को समुदाय के महिला सदस्यों के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए भर्ती किया गया है। हालांकि भागीदारी और सामुदायिक सह-प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू हैं, परन्तु निम्न विभागीय क्षमता और समुदायों के साथ जुड़ने की इच्छा समुदायिक संस्थानों की स्थिति में दिखाई देती है। अप्रैल 2014 तक कुल 1475 जेएफएमसी गठित किए गए, जिनमें से केवल 963 और 36 वन विकास प्राधिकरणों के तहत कार्यात्मक थे - उनके कमजोर संगठन और क्रमिक अलगाव का सुझाव देते हुए। इसके अलावा राज्य अब तक भागीदारी प्रबंधन के तहत वन क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा लाने में सफल हुआ है।

एचपीएफडी और परियोजना हितधारकों के साथ बैठकों और चर्चाओं के दौरान सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए एचपीएफडी की क्षमता में कुछ खामियों उजागर हुईं; सामाजिक संगठनात्मकता और सामुदायिक विकास कार्यों को उपक्रम में समितित कौशल, सहभागिता दृष्टिकोण में क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी, क्षेत्रीय कर्मचारियों की एक पुलिस से सह-प्रबंधन भूमिका की सीमित इच्छा और समुदायों को बराबर समुदाय को हितधारकों के रूप में पहचानना, समुदायों का वन संरक्षण में उनके योगदान के संबंध में मानसिक अवधारणा, विभागीय वर्कलोड जिसके कारण वन कर्मचारी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए अधिक समय देने में असमर्थ हैं, आदि।

इस अंतराल को दूर करने के लिए सुझावित कार्य हैं; (a) समर्पित स्थानीय रूप से उपलब्ध शिक्षित समुदाय कार्यकर्ताओं (महिला कर्मचारियों सहित) को चयनित करना, जिनके पास समुदाय व समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ने का कौशल है, (b) क्षेत्रीय एचपीएफडी कर्मचारियों को सहभागिता उपकरण और तकनीकों में ट्रेनिंग, जरूरतों का आकलन करना, विकल्प और स्थानीय और सामुदायिक पसंदीदा समाधान प्रदान करना व सुझाव देना हैं (c) वनों के संचालन में समुदायों को शामिल करना, जिसमें वृक्षारोपण और नर्सरी विकास कार्यों में उन्हें शामिल करना (d) परियोजना निवेश से उत्पन्न होने वाली सामुदायिक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित प्रणाली तैयार करना शामिल है। चूंकि इसके लिए दीर्घकालिक परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता है, अल्प अवधि में, एचपीएफडी, पीआईयू को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सामाजिक और सामुदायिक विकास कौशल वाले व्यक्तियों की भर्ती करने की आवश्यकता होगी। पीआईयू में एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ की भर्ती के रूप में होना चाहिए, जो समुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा विधिवत समर्थित हो। यह पीआईयू, रेंज स्तर और फील्ड स्टाफ की सामाजिक विकास और प्रबंधन के मुद्दों पर क्षमता निर्माण के अतिरिक्त होगा।

परियोजना प्रभाव (Project Impacts)

परियोजना हस्तक्षेप के कारण कुछ अनुमानित प्रभाव हैं - (a) वन भूमि के कुछ पार्सल सहित भूमि की आवश्यकता जो एफआरए के तहत चिन्हित नहीं है, अतिक्रमणियों के कब्जे में भूमि जिसे वन विभाग द्वारा मुक्त करवाने की कार्रवाई एचपी उच्च न्यायालय के निरीक्षण में की जा रही है, (b) नर्सरी संचालन और प्रजातियों के चयन में भागीदारी के लिए सीमित अवसर, (c) वन संरक्षण में समुदायों के रुझान में की कमी, वीज उत्पाद क्षेत्र में समुदाय के लिए प्रतिबंध, चरागाह में समुदाय द्वारा मवेशियों को लाने पर प्रतिबंध, (d) ट्रांसहुमेंट्स / नोमाड्स की आजीविका पर प्रभाव, अस्थायी रोक / प्रतिबंध (कुछ वर्षों के लिए) चरागाहों के संरक्षण हेतु, (e) वन विभाग के अधिकारियों की आशंका कि ट्रांसहुमेंट्स / नोमाड्स कुछ आक्रामक प्रजातियों से इन चरागाहों व जंगल की गुणवत्ता और इसकी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। (f) चरागाह क्षेत्र साझा करने वाले समुदायों में संभावित संसाधन संघर्ष, (g) सीमित सामुदायिक भूमिका और गतिविधियाँ जैसे वन अग्नि / वन संरक्षण / प्रबंधन समितियाँ, अभिगम और (h) लाभ साझा करने के जटिल नियम, (i) समुदाय के वन व वन्य संसाधनों से संबंधित अधिकारों की सीमित जानकारी आदि।

सर्वेक्षण के दौरान उजागर परियोजना जोखिम जैसे विवादों के तहत भूमि का उपयोग, कमजोर समूहों का पृथक्करण, सामुदायिक स्वामित्व, अपर्याप्त भूमिका स्पष्टता, एचपीएफडी की सामाजिक क्षमता, शिकायतों के निर्वाण में विलम्ब, सूचना प्रसार इत्यादि। इन्हें स्क्रीनिंग प्रारूपों व सही स्टैकहोल्डर रणनीति, क्षमता निर्माण रणनीति, जनजातीय विकास फ्रेमवर्क, कमजोर वर्ग के समावेशन की रणनीति, जाति योजना, निगरानी संकेतक, आईसी अभियान, जागरूकता जनरेशन और मोबिलाइजेशन रणनीति, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति, सामाजिक विकास और सुरक्षा उपायों विशेषज्ञ और सामुदायिक सुविधाकार, एक जीआरएम स्थापित करना आदि के उपयोग / माध्यम से कम किया जा सकता है।

2. सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (Social Management Framework)

सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सामाजिक प्रभावों और जोखिमों के आकलन के आधार पर, परियोजना के तहत परियोजना हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त योजनाओं और रणनीतियों की स्क्रीनिंग और तैयारी के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। इस एसएमएफ में (a) परियोजना हस्तक्षेप के लिए एक स्क्रीनिंग प्रारूप, (b) एक पुनर्वसन नीति फ्रेमवर्क, (c) शिकायत निवारण तंत्र, (d) सामाजिक समावेश रणनीति, (e) नागरिक भागीदारी फ्रेमवर्क, (f) लिंग रणनीति, (g) जनजातीय विकास फ्रेमवर्क, (h) निगरानी व अनुमोदन रणनीति, (i) क्षमता निर्माण रणनीति।

प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव के लिए स्क्रीनिंग (Screening for Adverse Social Impacts)

भूमि की आवश्यकता के लिए सभी परियोजना हस्तक्षेपों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग प्रारूप का उपयोग किया जाएगा। नर्सरी, वृक्षारोपण, भंडारण सुविधाओं इत्यादि जैसे योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के लिए सभी भूमि (a) एचपीएफडी के साथ उपलब्ध मौजूदा भूमि, (b) विभागीय हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी भूमि, (c) प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत लीज पर ली गई भूमि या (d) लाभार्थियों द्वारा स्वैच्छिक भूमि दान, पर ही लागू की जाएगी।

पुनर्स्थापन नीति फ्रेमवर्क (Resettlement Policy Framework)

फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय कानून, पारदर्शिता, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के प्रारूप में विकसित किया गया है। इस आरपीएफ का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना या कम से कम परियोजना से पहले रहने के उनके मानक पर बहाल करना है। यदि प्रभावित व्यक्ति परियोजना से पहले गरीबी रेखा (बीपीएल) श्रेणी से नीचे हैं, तो इस आरपीएफ का लक्ष्य उन्हें गरीबी रेखा (एपीएल) से ऊपर ले जाना है।

भूमि आवश्यकता (Land Requirement)

एचपीएफपीपी विभिन्न प्रकार की उप-परियोजनाओं का प्रस्ताव पेश करता है। इन उप-परियोजनाओं को उनके प्रकार और आकार के आधार पर भूमि की आवश्यकता व अलग स्थानों में अलग होगी, उप-परियोजनाओं का प्रकार और आकार भूमि की आवश्यकता को निर्धारित करेगा। आवश्यक भूमि की सीमा का इस चरण में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

सामान्य अभ्यास (Usual Practice)

राज्य सरकार नियमित आधार पर समान परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका स्वामित्व या तो सार्वजनिक या निजी हो सकता है। सार्वजनिक भूमि का अधिग्रहण सरल है, परन्तु निजी स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जब अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो पहले कदम के रूप में, राज्य सरकार, अलग-अलग कार्यकाल के तहत सार्वजनिक भूमि को अधिग्रहण और सुरक्षित करेगा जहां तक संभव व उपलब्ध है। यदि निजी भूमि की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार स्वैच्छिक दान के माध्यम से या सीधे प्रत्यक्ष खरीद या आरएफसीटीएलएआर अधिनियम का उपयोग करके इसका अधिग्रहण करेगा।

एचपीएफएफपी के तहत उप-परियोजनाओं के लिए भूमि की किसी भी आवश्यकता के लिए, राज्य सरकार केवल सरकारी भूमि का उपयोग करेगा, जो अतिक्रमण और विवादों से मुक्त है। अदालत के मामलों के तहत भूमि और एफआरए (अनिश्चित दावों) के दायरे में भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यथासंभव हद तक, राज्य सरकार परियोजना प्रयोजनों (जैसे नर्सरी, नई वागान स्थल, एनटीएफपी का भंडारण) के लिए अपनी मौजूदा भूमि / परिसर / भवनों और / या किराए पर परिसर / भवनों का उपयोग करेगा।

हालांकि, किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निजी भूमि खरीदने / प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रस्तावित हैं 1) एलए अधिनियम 2013, 2) प्रत्यक्ष खरीद और 3) भूमि दान का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण।

एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स (Entitlement Matrix)

यह एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स आरटीएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 के आधार पर पीएएफ की सभी श्रेणियों के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान करता है। इस मैट्रिक्स को उप-परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन कार्य योजना तैयार करने के लिए एक गाइड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सभी परिवार सहायता की दो व्यापक श्रेणियों के हकदार होंगे; 1) भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे; और 2) कुछ आय उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिए आजीविका (पुनर्वास) सहायता, जिसमें पीएएफ द्वारा तय की गई भूमि की खरीद शामिल हो सकती है।

शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

एचपीएफएफपी एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) स्थापित करेगा जिसे परियोजना के बारे में प्रश्नों या स्पष्टीकरण का जवाब देने, कार्यान्वयन के साथ समस्याओं को हल करने और शिकायतों को संबोधित करने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। जीआरएम सुधारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कार्य हानिकारक या संघर्ष के बिंदु पर, आगे बढ़ने से पहले पहचान की गई कार्यान्वयन चिंताओं को हल करने के लिए, जल्दी और अपेक्षाकृत कम लागत पर अपना पक्ष व हल देगा, जिसे लागू किया जा सकता है। जीआरएम प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करेगा, जहां पर्यवेक्षण को लक्षित करने में मदद मिलेगी व व्यवस्थित मुद्दों की पहचान करेगा। जीआरएम सीधे परियोजनाओं द्वारा किए गए आउटपुट, गतिविधियों और प्रक्रियाओं से संबंधित शिकायतों (और जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध) को हल करने और तलाशने का प्रयास करेगा, जिन्हें (a) परियोजना कार्यान्वयन मैनुअल में वर्णित किया गया है; (b) परियोजना के माध्यम से विल्ट पोषित किया जाता है (समकक्ष निधि सहित); और (c) संगठन के कर्मचारियों या सलाहकारों द्वारा या उनके भागीदारों और उप-ठेकेदारों द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से परियोजना का समर्थन करने वालों द्वारा किया जाता है।

परियोजना गतिविधियों से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास कार्यान्वयन, आजीविका के मुद्दों आदि, दो निकायों की स्थापना की जानी है; राज्य स्तर पर पीजीआरसी और डिवीजन स्तर पर शिकायत निवारण समिति। पूर्व समिति में अध्यक्ष के रूप में राज्य के पीसीसीएफ, एचपीएफडी की अध्यक्षता में उनकी क्षमता में शिकायतों की निगरानी और समीक्षा करने हेतु स्थापित किया जाएगा। सीपीडी, एचपीएफएफपी इस समिति के संयोजक होंगे। सर्किल लेवल सीएफ की अध्यक्षता में, डिवीजन स्तर पर शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी, जो हितधारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्य करेगी इन समितियों के जिला स्तर के संयोजक डीएफओ व अन्य सदस्य संबंधित विभागों के जिला स्तर के प्रमुख, एक पीएएफ प्रतिनिधि और जिले का एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता होगा। भूमि अधिग्रहण से पीड़ित के पास विनियमन से संबंधित अपनी शिकायतों को संबोधित करने के लिए दो प्रकार के विकल्प होंगे। एक उपरोक्त के रूप में, इस ढांचे में शामिल शिकायत निवारण तंत्र है। दूसरा सामान्य कानूनी माहौल है जिसमें उनकी शिकायत को संबोधित करने के लिए वह अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इन विकल्पों को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान पीडितों के लिए खुलासा किया जाएगा।

विश्व बैंक की शिकायत निवारण सेवा (Grievance Redress Service of The World Bank)

सरकारी स्तर पर स्थापित जीआरएम के माध्यम से अपनी शिकायतों को हल करने के अलावा परियोजना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति व समुदायों का अगर मानना है कि वे विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) समर्थित कि इस परियोजना से अपनी शिकायतें, विश्व बैंक द्वारा स्थापित शिकायत निवारण सेवा (जीआरएस) में भी दर्ज कर सकते हैं। जीआरएस में परियोजना से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्राप्त शिकायतों की तुरंत समीक्षा की जाती है। अपनी शिकायत को जीआरएस के माध्यम से विश्व बैंक के ध्यान में लाने के बाद, प्रोजेक्ट प्रभावित समुदाय व व्यक्ति अपनी शिकायत विश्व बैंक के स्वतंत्र निरीक्षण पैनल में भी दर्ज कर सकते हैं। विश्व बैंक की शिकायत निवारण सेवा में शिकायतें दर्ज करने के बारे में जानकारी <http://www.worldbank.org/GRS> पर उपलब्ध है। विश्व बैंक निरीक्षण पैनल को शिकायतें दर्ज करने के बारे में जानकारी www.inspectionpanel.org पर उपलब्ध है।

सामाजिक समावेशन रणनीति (Social Inclusion Strategy)

यह परियोजना महिलाओं और आदिवासियों सहित सभी कमजोर समूहों की कार्यान्वयन संरचनाओं व सामुदायिक संस्थानों में भागिदारी, उपक्रम द्वारा प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों में परामर्श, स्टेकहोल्डर भागीदारी, व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन, सूचना और ज्ञान साझा कर, महिलाओं, ट्रांसह्यूमैन्ट्स के साथ अन्य जनजातिय समुदाय और अन्य कमजोर समूहों आदि पर विशेष ध्यान दे कर सुनिश्चित करेगी।

नागरिक भागिदारी रणनीति (Citizen Engagement Strategy)

इस मूल्यांकन मूल्यांकन से इंगित होता है कि वन संरक्षण और जनजातीय विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं मौजूद हैं, हालांकि इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी और समुदाय में जागरूकता सीमित है। नागरिक भागिदारी समुदाय के वजाय नागरिकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जैसा कि इस परियोजना के तहत कुछ हस्तक्षेपों में आवश्यक होगा। इस परियोजना में विभिन्न

सामाजिक समूहों के लाभार्थियों को शामिल करने हेतु नागरिक भागिदारी रणनीति की आवश्यकता है, जिससे लक्षित परिणामों को सुनिश्चित को सुनिश्चित किया जा सके। नागरिकों की भागिदारी के लिए विकसित प्रणाली, परियोजना लाभार्थियों व संबंधित नागरिकों और सामाजिक सोसाइटियों को परियोजना पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। जवाबदेही (accountability measure) के रूप में, नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तंत्र बनाए जाएंगे। इस प्रतिक्रिया का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण कर समग्र परियोजना कार्यान्वयन रणनीति को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। परियोजना के जागरूकता निर्माण प्रयास में लोगों को प्रतिक्रिया देने के तरीकों के बारे में सूचित भी करना होगा- जैसे वेब पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन। इस रणनीति के प्रमुख तत्व हैं; भागीदारी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी, आईसीटी का उपयोग कर प्रतिक्रिया, शिकायत निवारण के लिए समर्थन इत्यादि।

लिंग रणनीति (Gender Strategy)

अन्य परियोजनाओं की तरह, इन उप-परियोजनाओं में भी, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में उनकी वंचित स्थिति के कारण अंतर-सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अनुभव करने की संभावना है। लिंग रणनीति के रूप में, परियोजना कार्यों जैसे; लिंग असंगत सामाजिक आर्थिक आधारभूत सर्वेक्षण (socio-economic baseline), पृथक फोकस समूह चर्चाएं (FGD) और संगठनाकरण में प्रभावी योगदान, समितियों में महिलाओं की भागिदारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में महिलाओं को शामिल करना, साझा/सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सामाजिक समावेशी (social Inclusion) के लाभ साझा करना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मौजूदा राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ अभिसरण करने का सुझाव है।

निगरानी (Monitoring)

एसएमएफ में सामाजिक पहलुओं पर परियोजना के प्रभावों का विस्तृत पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए, एचपीएफएफपी के पास राज्य और सीमा स्तर पर विशिष्ट व्यवस्था की जाएगी। इसमें राज्य स्तर पर परियोजना अवधि के लिए एक सामाजिक विशेषज्ञ की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा एचपीएफएफपी फ़ील्ड स्तरीय एजेंसियों का इस एसएमएफ के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन करेगा। एचपीएफएफपी पीआईयू एसएमएफ को लागू करने का प्रभारी होगा। सामाजिक विशेषज्ञ इसके कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेंगे और सुविधाकर्ताओं द्वारा फ़ील्ड स्तर पर समर्थित होंगे। इसके अलावा एचपीएफएफपी परियोजना संचालन मैनुअल या परियोजना के लिए तैयार अन्य समान दस्तावेज में क्रियाशील विंदुओं के रूप में इस एसएमएफ के प्रावधानों को शामिल करेगा। सामाजिक विशेषज्ञ इन प्रावधानों के आवेदन की निगरानी करेगा और प्रक्रिया को मार्ग दर्शन करेगा, साथ ही साथ पीआईयू और फ़ील्ड इकाइयों की क्षमता का निर्माण करेगा। प्रत्येक वर्ष एक बार, एचपीएफएफपी प्रासंगिक जिलों के डेटा और विश्लेषण सहित परियोजना जिलों में सामाजिक सुरक्षा उपायों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। समवर्ती आंतरिक सामाजिक निगरानी पीएमयू और रेंज स्तर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित निगरानी के रूप में की जाएगी। एचपीएफएफपी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार, सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए उप-परियोजनाओं की त्रैमासिक सामाजिक निगरानी करेंगे।

क्षमता निर्माण रणनीति (Capacity Building Strategy)

एचपीएफएफपी अपने कर्मचारियों और भागीदार समुदायों को सामाजिक सुरक्षा उपायों के कुछ जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। लेकिन उनके साथ वातचीत से पता चलता है कि, केवल यह जानकारी ही सामाजिक प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें उप-परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के सामाजिक पहलुओं के बारे में जागरूकता, संवेदनशीलता, कौशल और अनुभव होना चाहिए। इस क्षमता निर्माण और आईसी रणनीति को परियोजना के लिए विकसित एसएमएफ के हिस्से के रूप में रेखांकित किया गया है जिसका लक्ष्य परियोजना प्रशासन संरचना के साथ-साथ लक्षित समुदायों में सामाजिक जागरूकता और सामाजिक प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना है। सामाजिक प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण परियोजना के समग्र क्षमता निर्माण घटक के साथ एकीकृत किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव दिया जाता है और इन गतिविधियों के लिए वजेट प्रदान किया जाता है।

बजट (Budget)

प्रस्तावित एचपीएफएफपी के तहत प्रशिक्षण सहित सामाजिक प्रबंधन गतिविधियों के लिए कुल प्रशासनिक वजट । 5.3 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, शमन उपायों को लागू करने की लागत इसमें शामिल नहीं है। सामाजिक प्रभावों को कम करने / शमन उपायों की लागत संबंधित उप-परियोजनाओं के वजट में शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रकटीकरण का मतलब है (Means of Disclosure)

यह एसए, आरपीएफ और टीडीएफ के साथ एसएमएफ डीएफओ कार्यालय, जिला कलेक्टर के कार्यालय, और रेंज कार्यालय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पढ़ने और कॉपी करने के लिए रखा जाएगा। यह प्रोजेक्ट वेबसाइट पर और संबंधित गांवों के ग्राम पंचायत कार्यालयों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

3. जनजातीय विकास फ्रेमवर्क (Tribal Development Framework)

परिचय (Introduction)

एचपी के कुल 55,673 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 23,655 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शेड्यूल वी क्षेत्र में आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाली कुल आबादी 173,661 है, जिसमें से 123,585 आदिवासी हैं जो इस क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 71.16 प्रतिशत है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों में एचपी के जनजाति आर्थिक तौर पर बेहतर हैं। लगभग 21.37 प्रतिशत एसटी ग्रामीण परिवारों की आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक है और 42.76 प्रतिशत जनजातीय परिवारों की सिंचित कृषि भूमि है। वेतनभोगी सरकारी नौकरियों में भी, एचपी के आदिवासी अन्य राज्यों से आगे हैं, जिनमें सरकारी नौकरी में कम से कम एक सदस्य के साथ 23.72 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं।

हालांकि, दूरदराज के और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों (लाहौल, स्पीति, किन्नौर और चंबा जिलों) में उनकी मौजूदगी के कारण सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच बहुत कम है, जो जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वास्थ्य और शिक्षा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कम मानव विकास उपलब्धियों में भी दर्शाती है। जनजातीय क्षेत्रों में औसत भूमि आकार लगभग 1.16 हेक्टेयर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन खेतों की फसल सघनता (cropping intensity) घटकर 136 से 124 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण पानी की कमी, सिंचाई सुविधाओं की कम उपलब्धता और कम रिटर्न हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सूची में ए) गद्दी, बी) गुज्जर, सी) किन्नारा या किन्नौर, डी) लाहौला और ई) पंगवाल व कुछ अन्य छोटी जनजातियों जैसे भोट / बोध, वेदा, जाद / लांबा / खम्पा और खंगला आदि आते हैं। हिमाचल की जनजातियों का आम तौर पर पहाड़ियों के ऊपरी और मध्यम स्तर पर निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि एचपी के अधिकांश आदिवासी समूह समय-समय पर मैदानी इलाकों और आस-पास के क्षेत्रों से निकलते हैं।

एसटी आबादी, लाहुल और स्पीति और किन्नौर में राज्य के दो ग्रामीण जिलों में क्रमशः प्रभावी है, जहां वे क्रमशः जिलों की कुल आबादी का 81% और 58% योगदान करते हैं। 2011 में इन क्षेत्रों में कुल साक्षरता दर लगभग 82% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 89% थी और महिला साक्षरता दर 75% थी। अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता प्रतिशत 2001 में 65.5% से बढ़कर 2011 में 73.64% हो गया है; पुरुष साक्षरता दर 83.17% थी जबकि 2011 में महिला साक्षरता दर केवल 64.20% थी, जो राज्य के औसत से काफी कम थी और उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम थी। मुख्य रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति के कारण जनजातीय क्षेत्रों में खराब सड़क कनेक्टिविटी भौगोलिक अलगाव पैदा करती है, बुनियादी सार्वजनिक सामानों और सेवाओं की वाजारों तक पहुंच प्रतिबंधित करती है और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर उच्च निर्भरता पैदा करती है।

इस जनजातीय विकास फ्रेमवर्क को व्यापक साहित्य समीक्षा, परियोजना हितधारकों के साथ चर्चा के साथ-साथ राज्य के मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों (किन्नौर जिले) में सामुदायिक परामर्श से बनाया गया है।

संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय (Constitutional, Legal and Institutional Safeguards)

भारत के संविधान ने देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनके निवास स्थान के भौगोलिक क्षेत्रों में विकास सुविधाओं की पहुंच की कमी को ध्यान में रखकर प्रावधान किए हैं। मुख्य सुरक्षा उपायों में शैक्षणिक और

आर्थिक हितों का प्रचार और अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा शामिल है। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं) अनुच्छेद 14, समान अधिकारों और अवसरों से संबंधित, (बी) अनुच्छेद 15, लिंग, धर्म, जाति, इत्यादि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, (सी) अनुच्छेद 15 (4), विशेष प्रावधान करता है एसटी के लिए, (डी) अनुच्छेद 16 (3), राज्यों को एसटी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, (ई) अनुच्छेद 46, एसटी के विशेष देखभाल शैक्षणिक और आर्थिक हितों के साथ प्रचार करने के लिए, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा और शोषण, (एफ) अनुच्छेद 275 (1), अनुसूचित जनजाति के लक्षित कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता, (जी) अनुच्छेद 330, 332, 335, लोकसभा और राज्य सभाओं में एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित और (एच) अनुच्छेद 339, 340, एसटी के कल्याण और संघ की जांच के लिए संघ के नियंत्रण से संबंधित है।

एसटी के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989, एचपी पंचायत राज अधिनियम, 1994, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति 1988, इत्यादि। कुछ ऐसे कृत्य जो वनों के साथ जनजातीय हितों को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, ए) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, और (बी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: (अत्याचार रोकथाम) नियम, 1995। भूमि अलगाव, उधार, ऋण राहत और बंधुआ श्रम आदि के खिलाफ कई सुरक्षात्मक और विरोधी शोषण उपाय हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के कुछ शर्तों के तहत आदिवासी भूमि पर केवल कुछ बुनियादी मामलों के, किरायेदारी का अंत हो गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान भी एक अलग संस्थागत सेट-अप (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं- आईटीडीपी) और समांतर बजटीय प्रावधान है (आदिवासी उप-योजना-टीएसपी) जिसमें पर्याप्त वित्त (जनजातीय आवादी के अनुपात में) और जनजातीय विकास के लिए कुछ कार्यक्रमों को लागू करने और अन्य विभागों द्वारा लागू योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी प्रदान करने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas under Fifth Schedule of Constitution)

अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए, अनुच्छेद 244 (2) के तहत संविधान में "पांचवीं अनुसूची" का प्रावधान स्थापित किया गया है जो मुख्य जनजातीय आवादी वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ उनकी आवादी और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा और उपायों की आवश्यकता होती है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्राम सभा की प्रशासनिक व्यवस्था और सहमति प्रदान करता है। एचपी में इन अधिसूचित क्षेत्रों में 3 अनुसूची वी जिलों (पूरी तरह से व आंशिक), 2 अनुसूची वी जिलों (पूरी तरह से कवर) (लाहौल और स्पीति, और किन्नौर), 1 अनुसूची वी जिला (आंशिक कवर) (चंबा), अनुसूची वी में 7 ब्लॉक हैं। अनुसूची वी क्षेत्रों में 151 ग्राम पंचायत और 806 राजस्व गांव हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले पूरी तरह से, और पंगी और भारमौर (अब तहसील भारमौर और उप-तहसील होली) चंबा जिले के उप-प्रभाग राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का गठन करते हैं।

जनजातीय विकास के लिए राज्य रणनीति (State Strategy for Tribal Development)

जनजातीय क्षेत्रों के साथ, एसटी आवादी का 100% उप-योजना के तहत कवर किया गया था। 5 आईटीडीएफ को धन के बराबर प्रवाह के लिए, राज्य ने 40% जनसंख्या में भार, अनुसूची वी के तहत क्षेत्र में 20% और प्रत्येक आईटीडीपी के लिए सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन के लिए 40% के आधार पर धन के वितरण के लिए एक उद्देश्य सूत्र विकसित किया है। इस सूत्र के आधार पर, प्रत्येक आईटीडीएफ का हिस्सा ए) किन्नौर -30%, लाहौल -18%, स्पीति -16%, पंगी -17% और भारमौर -19% है।

जनजातीय विकास विभाग राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करता है। अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की कई योजनाएं हैं जिनमें ए) आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, (बी) अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता में अनुदान, (सी) जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, (डी) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी), (ई) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पादन (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र, (एफ) जनजातीय उत्पादों / उत्पादन के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन और (जी) आदिवासी सहकारी के माध्यम से समर्थन जनजातीय कलाकृतियों / एमएफपी के कौशल विकास और विपणन के लिए भारत

के विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED)। विभाग का प्रमुख कार्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों को लागू करना, राज्य की जनजातीय उप-योजना तैयार करना, इन फंडों के लिए चैनलिंग एजेंसी के रूप में कार्य करना, विभिन्न एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग का समन्वय करना और निगरानी करना व जनजातीय क्षेत्रों में लाइन विभाग और आईटीडीपी में कार्यों को लागू करना है।

अनुसूचित जाति / जनजाति विकास निगम आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आदिवासी समुदायों के लिए स्व-रोजगार और आय उत्पादन के अवसरों की पहचान करके, कौशल उन्नयन, संस्थागत और मार्केटिंग समर्थन बढ़ाने के लिए उन व्यवसायों में प्रवेश करने या उन्हें बेहतर बनाने का काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आय वर्द्धन योजनाओं के लिए एससीए और अन्य योजनाओं के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करना।

वन विभाग में कई कार्यक्रम भी जनजातीय विकास में योगदान देते हैं। जनजातीय समुदाय वन भूमि पर वृक्षारोपण बढ़ाने में भाग लेते हैं और उनके द्वारा किए गए वृक्षारोपण से ईंधन और चारा इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त है। जनजातीय समेत स्थानीय समुदायों को एनटीएफपी निकालने का अधिकार है और समय-समय पर सरकार के स्वामित्व वाले जंगलों से लकड़ी प्राप्त होती है। हालांकि, इन जंगलों में लगातार बढ़ती आबादी के कारण लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए भारी दबाव आ गया है। इन में ट्रांसह्यूमैन्ट्स के साथ अन्य समुदाय ऊन, मांस इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जानवरों के बड़े झुंड पालते हैं और जंगलों और लंबे समय से सरकारी स्वामित्व वाले चरागाहों तक पारंपरिक पहुंच का आनंद ले रहे हैं। इन चरागाहों और जंगलों में कुछ प्रवासी चरवाहे या ट्रांसह्यूमैन्ट्स मौसमी तौर पर आते हैं।

जनजातीय विकास फ्रेमवर्क और कार्यान्वयन (Tribal Development Framework and Implementation)

मूल्यांकन और परामर्श से कई मुद्दे उभरे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के प्रमुख सुझाव हैं 1) वन प्रबंधन, अधिकारों और समुदायों के अधिकारों के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता है, 2) वानिकी संचालन में शामिल होने के अवसर, नर्सरी बढ़ाने, वृक्षारोपण स्थलों के विकास, आय वृद्धि के लिए, 3) टी. डी. के के रूप में जंगलों से अधिक लाभ, 4) वृक्षारोपण में प्रजातियों की प्राथमिकता/पसंद या किसी क्षेत्र में सिल्विकल्चर संचालन की योजना में। इस फ्रेमवर्क के तहत संबंधित किए जाने वाले अन्य मुद्दों में ए) बुनियादी ढांचे की जरूरत, बी) भंडारण / प्रसंस्करण / विपणन से संबंधित उत्पादन, सी) रोजगार के अवसर संबंधित और डी) चरागाह संबंधित मुद्दे हैं।

इस फ्रेमवर्क के तहत प्रस्तावित घटक इस प्रकार हैं ए) जागरूकता, बी) आदिवासी सामाजिक-आर्थिक आधारभूत विकास, सी) उप-परियोजनाओं के सामाजिक मूल्यांकन का संचालन, डी) समावेशन और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का पालन करते हुए, ई) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, एफ) अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण, जी) टीडीएफ के कार्यान्वयन में सहायता और एच) टीडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी।

टीडीपी के लिए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी परियोजना के समग्र कार्यान्वयन रणनीति के साथ समन्वयित होगी, सामाजिक परियोजना पर विषय वस्तु विशेषज्ञ, मुख्य परियोजना निदेशक (सीपीडी) द्वारा प्रदान किए गए समग्र मार्गदर्शन के तहत, इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र में, वीट स्तर (लगभग 60) पर तैनात सामुदायिक सुविधाकार समुदाय से परामर्श का आयोजन करेंगे, परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और संभावित हस्तक्षेप के लिए, आदिवासी समुदायों की पूर्व सूचित सहमति (एफपीआईसी) लेंगे व परियोजना गतिविधियों, समुदाय की जरूरतों / प्राथमिकताओं को समझने और दस्तावेज करने का कार्य करेंगे।

एक सलाहकार (2 साल की अवधि के लिए) भर्ती किया जाएगा जो आदिवासी विकास योजना का वन विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों के समर्थन के साथ निर्माण करेगा। टीडीएफ लागू करने के लिए बजट प्रावधान 1.8 करोड़ रुपये है।